<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या-18/2024/642/18-2-2024-18-2002/9/2023</u>

प्रेषक

पुष्पे सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग2 लखनऊ:दिनांक: 29 मार्च, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में नये औद्योगिक आस्थानों का विकास हेतु बजट में व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1864/औ0आ0-11/2023-24, दिनांक 28 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या-22/2023/260/18-2-2023-18-2002/9/2023, दिनांक 22-3-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये औद्योगिक आस्थानों का विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू0 7500.00 लाख के सापेक्ष निम्नांकित विवरणानुसार तालिका के कालम-4 में अंकित लागत के सापेक्ष कालम-3 में अंकित कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रू0 425.70 लाख (रूपये चार करोड़ पच्चीस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा उल्लिखित कार्यो पर व्यय किये जाने की म0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 स0	औ0आ0 का नाम	कार्य का विवरण	अनुमोदित लागत (लाख रू0 में)	कार्यदायी संस्था	अवशेष धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	औ0आ0, प्रतापगढ़	बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	472.70	यू0पी0एस0 आई0सी0	236.35
2	औ0आ0, महोबा	बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	378.70	यू0पी0एस0 आई0सी0	189.35
कुल योग रूपये चार करोड़ पच्चीस लाख सत्तर हजार मात्र					425.70

2- उपर्युक्त निर्माण कार्य को अनुमोदित लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा यदि लागत में वृद्वि होती है तो उसे निर्माण एजेन्सी द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य के ब्योरेवार नक्शे और अनुमान तैयार करके विस्तृत आगणन पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। तकनीकी अनुमोदन प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समस्त आगणनों की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण कार्य समयबद्वता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

3- कार्य की लागत के संबंध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित दरें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों शिड्यूल आफ रेट्स के अनुरूप हैं।

4- उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मानक मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में अन्य मदों में उपयोग नहीं किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि आहरित कर तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

6- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायेगा। कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन जिला स्तरीय तकनीकी समिति से संबंधित उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा कराया जायेगा एवं आयुक्त एवं निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 या डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

10- उपरोक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार होने वाले व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

11- वर्तमान में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता (Compendium of Instructions on Model Code of Conduct) लागू है। अतः उक्त आदर्श आचार संहिता के प्राविधानानुसार धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व आयुक्त एवं निदेशक उद्योग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त प्रस्ताव से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा।

12- उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-102-लघु उद्योग-06-नये औद्योगिक आस्थानों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

पुष्पे सिंह
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित जनपदीय उपायुक्त उद्योग।
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

पुष्पे सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।